उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1
संख्याः 589/दस–1–2009–10(23)/2001
देहरादूनः दिनांक 21 जनवरी, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ: (1) इस नियमावली का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा(संशोधन) सेवा नियमावली, 2009 है.
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी

''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना: उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां वह शब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा.

नियम 15 का प्रतिस्थापन 3. उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली,1981(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15 कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया– कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी.	**15– कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक ग्रेड के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया**– सेवा में कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही नियम 16 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी.

नियम 16 का प्रतिस्थापन 4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में [illegible] स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16–आशुलेखकों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–	**16– कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड–।। के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–**
(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा.	(1) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे
(एक) मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय के लिए– (1) मुख्य अरण्यपाल, (2) अपर मुख्य अरण्यपाल, और (3) अरण्यपाल, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष
(दो) अपर मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय के लिए– (1) सम्बद्व अपर मुख्य अरण्यपाल, (2) सम्बद्व अपर मुख्य अरण्यपाल द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अरण्यपाल	(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य
(तीन) अरण्यपाल और/या निदेशक और प्रभागीय वन कार्यालय और/या उप निदेशक और/या किसी प्रभाग के प्रभारी–उप अरण्यपाल के कार्यालय के लिए– (1) सम्बद्व अरण्यपाल/निदेशक, (2) सम्बद्व अरण्यपाल / निदेशक द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रभागीय वन अधिकारी/ उप निदेशक	(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य (चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य
(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी। टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य–विषय और प्रकिया परिशिष्ट–दो में दी गई है।	(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी– सदस्य

(3) लिखित परीक्षा में अभ्यथियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम, 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यथियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतनी संख्या में अभ्यथियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जितने इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों. साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किए गये अंकों में जोड दिए जायेंगे.

(4) चयन समिति अभ्यथियों की योग्यता– क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा. सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही) होगी.

टिप्पणी–

(एक) यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी. ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा.

(दो) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो.

(2) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उपनियम (2) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा.

(एक) ऐसे दैनिक समाचार – पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके.

(4) उप नियम (3) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नही किया जायेगा.

क्रमशः 4..

(6) (एक) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी. प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी.

(दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा. प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा.

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी.

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी.

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा.

(ङ) कनिष्ठ सहायक तथा आशु-लिपिक ग्रेड – II के पदों हेतु क्रमशः 50–50 अंक की टंकण तथा आशुलिपि व कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण की परीक्षा होगी. टंकण हेतु 4000 KDPH तथा आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी. जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे. टंकण/ आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों

क्रमशः...5...

Signature

की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी. टंकण/आशुलिपि परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा.

(6) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों, के अंकों तथा टंकण/आशुलिपि परीक्षा के अंकों को जोड़ दिया जायेगा. इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा. यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा. सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक(किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी. चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी.

परिशिष्ट–दो का निरसन

5. उक्त नियमावली का परिशिष्ट दो निरसित कर दिया जायेगा, अर्थात उक्त नियमावली का परिशिष्ट–दो एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव एवं
आयुक्त वन एवं
ग्राम्य विकास

संख्या–539 (1)/दस–1–2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्र नगर.
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक–राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड.
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
9. निदेशक, कोशागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून.
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 500 सौ प्रतियॉं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे..
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून.
12. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन.
13. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु.
15. गार्ड फाइल (ए).

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव